(113)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस 0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 282-दो/2014 - विरूद्ध आदेश दिनांक 30-09-2013 पारित व्दारा - अपर कलेक्टर , जिला सीधी - प्र0क्र0 9/2011-12 निगरानी

गजाधार सिंह पुत्र स्व. सत्यप्रकाश सिंह
ग्राम खिरखोरी तहसील गोपद बनास
जिला सीधी मध्य प्रदेश --- आवेदक

विरूद्ध

रोहित सिंह पुत्र भगत सिंह चौहान
निवासी ग्राम अमरवाह तहसील गोपद बनास
जिला सीधी मध्य प्रदेश --- अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री जी0डी0मिश्रा)
(अनावेदक के अभिभाषक नवीनकुमार सिंह)

आ दे श

(आज दिनांक 07 - 6-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर, सीधी व्दारा प्रकरण क्रमांक 9/11-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-9-2013 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार वृत्त सेमरिया तहसील गोपद बनास के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 110 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि उसके व्दारा ग्राम अमरवाह स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1343 के रकबा 1.631 हैक्टर में से हिस्सा 1/4 रकबा 0.407 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) जर्य

पॅजीकृत विक्रय पत्र से क्रय किया है विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण किया जाय। तहसीलदार वृत्त सेमरिया ने प्रकरण कमांक 21 अ-6/09-10 पॅजीबद्व किया, जिसमें आवेदक ने नामान्तरण न करने वावत् आपत्ति प्रस्तुत की। तहसीलदार ने हितबद्व पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 8-12-2010 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि पर अनावेदक का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास ने प्रकरण कमांक 235/ 2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-10-11 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार के आदेश दिनांक 8-12-10 को निरस्त कर दिया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि सिविल वाद के निराकरण पश्चात् नामान्तरण कार्यवाही की जावे। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्व अपर कलेक्टर सीधी के समक्ष निगरानी प्रस्तुत हुई। अपर कलेक्टर, सीधी द्वारा प्रकरण कमांक 9/11-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-9-2013 से निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास के आदेश दिनांक 12-10-11 को निरस्त करते हुये तहसीलदार के आदेश दिनांक 8-12-10 को यथावत् रखा। अपर कलेक्टर सीधी के इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों का एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया । अनावेदक के अभिभाषक के तर्क सुने गये।

4/ तहसीलदार वृत्त सेमरिया के प्रकरण कमांक 21 अ-6/09-10 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनावेदक ने वादग्रस्त भूमि पर पॅजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 9-6-2009 के आधार पर नामांतरण की मांग की है जिस पर आवेदक ने नामान्तरण न करने वावत् आपत्ति प्रस्तुत की है कि विक्रय पत्र निरस्त किये जाने हेतु सिविल वाद लम्बित है जिसके कारण सिविल वाद के निराकरण तक नामान्तरण कार्यवाही न की जाय। तहसीलदार ने दोनों पक्षों को सुना है एंव सक्षम न्यायालय से स्थगन न होने के कारण आदेश दिनांक 8-12-2010 पारित करके विक्रय पत्र के आधार पर क्रय की गई भूमि पर अनावेदक का नामान्तरण किया है। प्रकरण में विचार योग्य है कि क्या सिविल वाद के निराकरण तक नामान्तरण कार्यवाही रोकी जावे अथवा नहीं।

भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) की धारा 109, 110 में व्यवस्था दी गई है कि नामान्तरण कार्यवाही केवल अभिलेख के अद्धतन रखने की प्रकिया है राजस्व अभिलेख में सॅशोधन होने से किसी भूमि के स्वत्वाधिकार प्रभावित नहीं होते हैं स्वत्व का मामला विनिश्चत् करने हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है, जबकि आवेदक स्वत्व के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर अनावेदक द्वारा रिकार्डेड भूमिस्वामी से क्रय की गई भूमि पर नामान्तरण न करने की आपत्ति प्रस्तुत कर रहा है। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में आवेदक ने तहसीलदार के समक्ष सक्षम न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया है जिसके कारण तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही नियमानुकूल है । अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास ने आदेश दिनांक 12-10-11 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार के नामान्तरण आदेश दिनांक 8-12-10 को निरस्त करते हुये व्यवहार न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा तक राजस्व अभिलेख अद्धतन न किये जाने वावत् लिया गया निर्णय दोषपूर्ण पाया गया है । अपर कलेक्टर, सीधी द्वारा प्रकरण कमांक 9/11-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-9-2013 में विस्तृत विवेचना करते हुये निकाले गये निष्कर्ष सही होना पाये गये है। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में मान0व्यवहार न्यायालय में स्वत्व वाद प्रचलित है एंव व्यवहार न्यायालय से स्वत्व का वाद निराकृत होने पर तथा व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी होने से तद्नुसार अभिलेख में अमल किया जावेगा, जिसके कारण अपर कलेक्टर जिला सीधी के आदेश में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर कलेक्टर, सीधी द्वारा प्रकरण कमांक 9/11-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-9-2013 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर